



उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

सोमवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1946

(03 मार्च, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क', 'ख' व 'ग')।

2-आबकारी मंत्री, माननीय लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2014 (लो0आ0) दिनांक 01 अगस्त, 2014 को स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) की उपधारा (5) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

3-कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि-

“यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय सभापति महोदय आदेश दें, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान परिषद् के एक-एक सदस्य का निर्वाचन करें।”

4-नगर विकास मंत्री, शहरों/महानगरों में लगी अवैध होर्डिंग से आम-जनजीवन के प्रभावित होने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-नगर विकास मंत्री, जनपद-बाराबंकी की ग्राम पंचायत-भिलवल में ग्राम सभा-मकनपुर व राजस्व ग्राम-पट्टी याकूब तथा खानपुर को जोड़कर भिलवल नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित सभी जनपदों में विद्यालय परिसर के आस-पास सिगरेट, पान गुटखा के विक्रय को विद्यालयों से निश्चित दूरी पर स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-मुख्य मंत्री, जनपद-लखनऊ में सीतापुर रोड से चंद्रिका देवी मन्दिर तक मार्ग का चौड़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व डा० मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत नगर पंचायत-मैलानी का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-मुख्य मंत्री, जनपद-गाजीपुर, विकास खण्ड-मरदह के ढोटारी, ग्राम-घरिया से 500 मीटर दूरी पर स्थित विद्यालय तक सड़क व पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बढ़ई डीह, विकास खण्ड-रेउसा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'घ')

11-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रामीपुर गुडवां, विकास खण्ड-रेउसा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'ङ')

12-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत मोहल्ला-निर्मल नगर, नगर पालिका परिषद्, लखीमपुर, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से विद्युत लाइन सीधी करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'च')

13-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सरस्वतीपुरम्, खरगापुर, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नत्थी 'छ')

14-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। (तृतीय दिवस)

लखनऊ :
सोमवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(03 मार्च, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

3 मार्च, 2025

4

3 मार्च, 2025

विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2025) का द्वितीय सोमवार

प्रश्न संख्या
**1
**2

सरकार को भेजने/
प्राप्त होने की तिथि
19-2-2025
22-2-2025



नत्थी 'क'

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, सन् 2025 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

उ0प्र0 में उच्च विभव (हाई वोल्टेज) अधिष्ठानों के निरीक्षण हेतु विद्युत निरीक्षक को नामित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव

1

**1-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में उच्च विभव (हाई वोल्टेज) अधिष्ठानों के निरीक्षण हेतु विद्युत निरीक्षकों की कमी को दूर करने के लिये डिप्लोमा +15 वर्षों का विभागीय अनुभव रखने वाले निदेशालय के कर्मियों/अधिकारियों को विद्युत निरीक्षक नामित करने हेतु उ0प्र0 मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियां और कृत्य नियमावली, 2024 शासनादेश संख्या-9/2024/401/24-3-25-2024, दिनांक 27 जून, 2024 नियमावली प्रख्यापित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हां, तो पात्रता रखने वाले सभी को अभी तक विद्युत निरीक्षक नामित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) नियम-5 (i) ख के अनुपालन में सभी पात्र 15 अधिकारियों को भी विद्युत निरीक्षक नामित करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

कानपुर नगर के आर्य नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत
गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क से क्षमता को खो चुके पम्पिंग
स्टेशन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री सलिल विश्नोई

2

**2-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि कानपुर नगर के आर्य नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क से क्षमता को खो चुके पम्पिंग स्टेशन को प्रभावी ढंग से चालू करने हेतु गंगा बैराज से आने वाली पाइप लाइन को उक्त पम्पिंग स्टेशन से जोड़ने हेतु 15वें वित्त आयोग से 1.90 करोड़ धनराशि स्वीकृत करके जल निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है ?

नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हां, तो सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो किस तिथि को ?

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कार्य को कब तक प्रारम्भ करायेंगे ?

3 मार्च, 2025

विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2025) का द्वितीय सोमवार

प्रश्न संख्या
*1
*2

सरकार को भेजने/
प्राप्त होने की तिथि
14-2-2025
14-2-2025



नत्थी 'ख'

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, सन् 2025 ई0

[माननीय मंत्री जी से अल्पसूचित रूप में उत्तर की अनुज्ञा प्राप्त न होने के कारण अल्पसूचित से तारांकित रूप में निर्धारित प्रश्न]

वन क्षेत्राधिकारियों के सितम्बर/अक्टूबर, 2024 में किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

1

*1-(क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि वन क्षेत्राधिकारियों के सितम्बर/अक्टूबर, 2024 में किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय से पत्रांक संख्या-386/2024, दिनांक 24-10-2024, जो कि अपर मुख्य सचिव, वन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ?

(ख) उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की मांग की गयी है ?

(ग) उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी है, उसकी प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में कितने संवेदनशील जनपद हैं, जहाँ अवैध खनन, अवैध कटान व अतिक्रमण के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

2

*2-(क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कितने संवेदनशील जनपद हैं, जहाँ अवैध खनन, अवैध कटान व अतिक्रमण की घटनायें सर्वाधिक हैं ?

(ख) उक्त जनपदों में वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु कोई टास्क फोर्स गठित है एवं किस स्तर तक वन कार्मिकों को वाहन व शस्त्रों से लैस किया गया है ?

वन एवं पर्यावरण,
जन्तु उद्यान एवं
जलवायु परिवर्तन राज्य
मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

वन एवं पर्यावरण,
जन्तु उद्यान एवं
जलवायु परिवर्तन राज्य
मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

3 मार्च, 2025

4

(ग) क्या वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

3 मार्च, 2025

विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2025) का द्वितीय सोमवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
*1	17-2-2025
*2	17-2-2025
*3	17-2-2025
*4	17-2-2025
*5	17-2-2025
*6	17-2-2025
*7	17-2-2025
*8	17-2-2025
*9	17-2-2025
*10	17-2-2025
*11	19-2-2025
*12	19-2-2025
*13	19-2-2025
*14	19-2-2025



प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
9	19-2-2025
10	19-2-2025
11	19-2-2025
12	19-2-2025
13	19-2-2025
14	19-2-2025
15	19-2-2025
16	19-2-2025
17	19-2-2025
18	19-2-2025
19	19-2-2025
20	19-2-2025
21	19-2-2025
22	19-2-2025
23	19-2-2025
24	21-2-2025
25	21-2-2025
26	21-2-2025
27	22-2-2025

अतारांकित प्रश्न

1	17-2-2025
2	17-2-2025
3	17-2-2025
4	17-2-2025

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
5	17-2-2025
6	17-2-2025
7	17-2-2025
8	19-2-2025

नत्थी 'ग'

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव के अन्तर्गत आवास विकास रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की अत्यधिक संख्या में आवागमन व एकल मार्ग होने को दृष्टिगत रखते हुये पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह
'चन्देल'

1

*1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद्, उन्नाव के अन्तर्गत आवास विकास रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की अत्यधिक संख्या में आवागमन व एकल मार्ग होने को दृष्टिगत रखते हुए पुल बनाए जाने पर विचार करेंगे ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वामी प्रसाद मौर्य, स0वि0प0 द्वारा पूछे गये ता0 प्र0 सं0-3
के खण्ड में कहे गये उक्त मार्ग का निर्माण कराये
जाने के सम्बन्ध में**

डॉ0 मान सिंह यादव
2

*2-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि परिषद् के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-3 के खण्ड में कहा गया है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है ?

नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) यदि, नहीं तो क्या लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

**कानपुर के गोविन्दनगर जोन-5 के अन्तर्गत ब्लॉक न0-13,
मकान न0-211 से 240 तक नमामि गंगे पेयजल योजना
के अन्तर्गत गंगा बैराज से आई लाइन से इन घरों
में लाइनें डाले जाने के सम्बन्ध में**

श्री राज बहादुर सिंह
'चन्देल'
3

*3-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद कानपुर के गोविन्दनगर जोन-5 के अन्तर्गत ब्लॉक न0-13, मकान न0-211 से 240 तक नमामि गंगे पेयजल योजना के अन्तर्गत गंगा बैराज से आई लाइन से इन घरों में लाइनें डाल दी गयी हैं ?

नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

(ग) यदि नहीं, तो उक्त लाइनें न डाले जाने का क्या कारण है ?

**ग्राम-ताड़ी, तहसील-मऊ, जनपद-चित्रकूट के निवासियों को
विद्युत विभाग के कार्मिकों द्वारा परेशान किये जाने
के सम्बन्ध में**

डॉ0 मान सिंह यादव
4

*4-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-ताड़ी, तहसील-मऊ, जनपद-चित्रकूट के निवासियों को विद्युत विभाग के कार्मिकों द्वारा परेशान किये जाने से संबंधित प्रकरण की तत्काल जाँच कराते हुए कार्यवाही कराये जाने हेतु आशुतोष सिन्हा, तत्कालीन सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति, उ0प्र0 का पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2023, जो कि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के साथ ग्रामीणों के संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उन बिन्दुओं के अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

*5-[अन्तरित]

5

**कानपुर नगर के गोविन्दनगर क्षेत्र में नन्दलाल चौराहा से
सी0टी0आई0 को जाने वाली रोड जिसमें ब्लॉक-13
और ब्लॉक-जी में की जा रही विद्युत कटौती के
सम्बन्ध में**

श्री राज बहादुर सिंह
'चन्देल'

*6-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि कानपुर नगर के गोविन्द नगर क्षेत्र में नन्दलाल चौराहा से सी0टी0आई0 को जाने वाली रोड जिसमें ब्लॉक-13 और ब्लॉक-जी है, जिसमें माह फरवरी में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत कटौती की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री

6

(ख) यदि हाँ, तो इस कटौती के क्या कारण हैं ?

(ग) इस निरन्तर कटौती को सुचारु करने पर विचार करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

**जनपद-सहारनपुर के ग्राम कैलाशपुर में भीमराव अम्बेडकर
पार्क पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के
कारण पार्क में घूमने व जाने वाले लोगों को
रोकने के सम्बन्ध में**

श्री शाहनवाज खान

*7-(क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि वन विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के जनपद-सहारनपुर के ग्राम कैलाशपुर में भीमराव अम्बेडकर पार्क पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जिसके कारण आम जनमानस को पार्क में घूमने व जाने में लोगों को रोकना जाता है ?

वन एवं
पर्यावरण, जन्तु
उद्यान एवं
जलवायु परिवर्तन
राज्य मंत्री

7

(ख) क्या इसके लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

(स्वतंत्र प्रभार)

(ग) यदि हाँ, तो क्या की गई ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

**कानपुर नगर निगम प्रवर्तन दल में वर्तमान में दल के प्रभारी
टीम लीडर, स्क्वाड कमांडर व अन्य तैनात कार्यरत
कर्मचारी के सेवाकाल के प्रारम्भ व समाप्ति के
सम्बन्ध में**

श्री अरूण पाठक

8

*8-(क) क्या नगर विकास मंत्री बताएंगे कि शासनादेश नगर विकास मंत्री संख्या-1489/नौ-7-18-6(ज) 2018, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रदेश के नगर निगमों में प्रवर्तन दल (इनफोर्समेंट टास्क फोर्स) स्थापित करने का निर्णय लिया गया था?

(ख) यदि हाँ, तो उसमें कार्यरत दल के प्रभारी, टीम लीडर, स्क्वाड कमांडर की चयन की प्रक्रिया/शर्तें क्या-क्या थीं, उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

(ग) कानपुर नगर निगम प्रवर्तन दल (इनफोर्समेंट टास्क फोर्स) में वर्तमान में दल के प्रभारी, टीम लीडर, स्क्वाड कमांडर में कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके सेवा काल के प्रारम्भ और समाप्ति की तिथि क्या है ?

**पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24
में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत तथा अतिरिक्त बिजनेस
प्लान के अन्तर्गत 339.5 करोड़ आवंटित रुपये से
सुनिश्चित हुये कार्य के सम्बन्ध में**

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

9

*9-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 250 करोड़ तथा अतिरिक्त बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 339.5 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था ?

ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त निगम में कौन-कौन से आकांक्षी जनपद आते हैं तथा उसमें कौन-कौन से कार्य सुनिश्चित हुये थे और कार्य पूरा होने की क्या स्थिति है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

**प्रवर्तन दल में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्ति और
सेवा बहाली के सम्बन्ध में**

श्री अरूण पाठक

10

*10-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रवर्तन दल में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पारित आदेश संख्या: 617/2024-25/क, दिनांक 5/8/2024 को समाप्त कर दी गई थी एवं पुनः 627/2024-25/क, दिनांक 8/8/2024 द्वारा बहाल कर दी गई थी ?

(ख) यदि हाँ, तो इनकी सेवा समाप्त का आदेश सेवा शर्तों के किस अनुबन्ध/नियम के उल्लंघन के कारण किया गया था और सेवा बहाली का आदेश सेवा शर्तों के किस अनुबन्ध/नियम के आधार पर पुनः किया गया था ?

(ग) क्या यह शासनादेश संख्या: 1489/नौ-7-18-6 (ज)2018, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के प्राविधानों का उल्लंघन है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्यों ?

**नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर के नगर में रात्रिकालीन
सफाई रात्रि 11:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक
कराने के सम्बन्ध में**

डा0 लालजी प्रसाद निर्मल

11

*11-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर के पत्र संख्या-डी-1230/स्वा0/एन0एस0ए0/24-25, के दिनांक 31-01-2025 द्वारा कानपुर नगर में रात्रिकालीन सफाई रात्रि 11:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक कराने के आदेश निर्गत किये गये थे ?

(ख) क्या उक्त अधिकारी द्वारा पुनः अपने पत्र सं0-डी-1260स्वा0/एन0एस0ए0/24-25, दिनांक 07-02-2025 द्वारा रात्रि 08:00 बजे से 12.00 बजे तक सफाई कर्मियों से सफाई कराने के निर्देश दिये गये थे ?

(ग) यदि हाँ, तो मध्य रात्रि में कार्य करने का अप्रासंगिक आदेश किस उच्च अधिकारी के निर्देश पर दिए गये थे ?

(घ) क्या उक्त आदेश वर्तमान में भी लागू हैं ?

(ड) क्या उक्त आदेश देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

(च) क्या पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए एक ही समय सफाई हेतु निर्धारित करने पर विचार करेंगे ?

(छ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ज) यदि नहीं, तो क्यों ?

हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत पारागाँव के डॉक्टरखेड़ा के पास मनोज राजपूत के घर से बाबा ब्रहमादेव तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

डॉ० मान सिंह यादव

12

*12-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न तृतीय सत्र 2024 के प्रथम सोमवार, अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के क्रम में मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत पारागाँव के डॉक्टरखेड़ा के पास मनोज राजपूत के घर से बाबा ब्रहमादेव तक जाने वाले मार्ग के निर्माण कार्य की निविदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रकाशित करायी गयी थी परन्तु वित्तीय व्यवस्था न हो पाने के कारण अनुबन्ध का गठन नहीं किया गया जिस कारण कार्य नहीं कराया जा सका ?

नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या गत दो वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वित्तीय व्यवस्था नहीं हो सकी ?

(ग) क्या उक्त स्थान पर मनोज राजपूत के घर से बाबा ब्रहमादेव तक नाली व इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सिद्धार्दनगर में नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के विज्ञापन में प्रश्नकर्ता के फोटो न प्रकाशित होने से प्रश्नकर्ता के विशेषाधिकार के हनन के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

13

*13-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि स्वतंत्रता दिवस, 2024 के अवसर पर तथा स्वच्छ सर्वेक्षण, 2024 के अवसर पर कार्यालय नगर पंचायत डुमरियागंज-सिद्धार्दनगर द्वारा नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं का विज्ञापन

नगर विकास मंत्री

प्रकाशित किया गया था एवं शासकीय धन से क्या भुगतान किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो विज्ञापन में किन-किन अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के फोटो लगाये जाने का क्या प्राविधान है ?

(ग) क्या प्रश्नकर्ता का नोडल जनपद एवं गृह जनपद सिद्धार्थनगर है ?

(घ) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता का फोटो उक्त विज्ञापन में प्रकाशित न होना प्रश्नकर्ता के विशेषाधिकार का हनन नहीं है ?

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 वाराणसी में सहायक अभियन्ता के प्रमोशन के बाद हुये अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0 में हुई नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव

14

*14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 वाराणसी में सहायक अभियन्ता के प्रमोशन के बाद कितने ऐसे अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0 में नियुक्त हुए हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 वाराणसी में दस लाख से कम निविदाएँ किस पेपर में प्रकाशित होती हैं ?

(ग) क्या दस लाख से अधिक की निविदाएँ 30% कम कर प्राप्त हो रही हैं इसके विपरीत ऑफ-लाइन की निविदाएँ 1% कम पर कैसे प्राप्त हो रही हैं ?

(घ) क्या दस लाख से अधिक की निविदायें बिल ऑफ क्वान्टिटी में लगायी दर एवं आगणन में लगायी गयी दर में 10% की भिन्नता है, जिसके वजह से 10% प्रत्येक कार्य में बचत होती है, जिसका भुगतान अतिरिक्त मद से कैसे किया जाता है ?

अतारांकित प्रश्न

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

1-[अन्तरित]

- श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 2
2
- डॉ० मान सिंह यादव 3
3
- डॉ० मान सिंह यादव 4
4
- श्री अनूप कुमार गुप्ता 5
5
- श्री अनूप कुमार गुप्ता 6
6
- 2-[अन्तरित]
- 3-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि विधान परिषद् के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम सोमवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-6 के क्रम में बतायेंगे कि अंश ग के उत्तर में बताया गया था कि जे०बी० गार्डन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा पारा, जनपद-लखनऊ में तिकोना मंदिर पार्क से डी०एन०एस० पब्लिक स्कूल तक बिजली के पोल लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ?
- (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पोल स्थापित करा दिये गये हैं ?
- (ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारणों सहित समस्त सूचना सदन की मेज पर रखेंगे ?
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- 4-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज जिले में कोतवाली दारागंज के बगल में स्थित मंडी में नाली को और अधिक गहरी व चौड़ी कर निर्माण कराये जाने तथा सी० सी० रोड के निर्माण कराये जाने का आगणन तैयार किया गया है ?
- (ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?
- (ग) उपरोक्त आगणन के अनुसार अभी तक निविदा आमंत्रित क्यों नहीं की गई है ?
- (घ) उपरोक्त कार्य कब तक करायेंगे ?
- 5-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-189 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 14/08/2024 जो अपर मुख्य सचिव आवास विकास परिषद् को राजकीय इंटर कालेज, देवरिया में निर्माण कार्य हेतु की गयी निविदा की जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ?
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?
- (ग) उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- 6-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-166 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 29/07/2024 आपको तथा प्रमुख सचिव नगर विकास, उ०प्र० शासन, लखनऊ को
- ऊर्जा मंत्री
- नगर विकास मंत्री
- मुख्य मंत्री
- नगर विकास मंत्री

नगर निगम लखनऊ ड्राइवर (चालक) के पद पर पदोन्नति किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ?

- (ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?
 (ग) क्या पदोन्नति हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है ?
 (घ) यदि हाँ, तो कब ?
 (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० मान सिंह यादव
7

7-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के मोहान रोड से सरोसा पंचायत घर तक रोड चौड़ीकरण व ग्रामीण रोड से शहरी रोड न होने के कारण क्षेत्रीय जनता व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रोड को कब तक ग्रामीण रोड से शहरी रोड में परिवर्तित कराते हुए चौड़ीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
8

8-(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि अयोध्या मण्डल के जनपदों में स्थित साधन सहकारी समितियों में सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

सहकारिता राज्य
मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या अस्थाई सचिव का कोई पद सृजित नहीं है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त मण्डल के जनपद-अम्बेडकरनगर में 02, जनपद-बाराबंकी में 06, जनपद-अयोध्या में 04, जनपद-सुल्तानपुर में 09, जनपद-अमेठी में 03 कुल 24 सचिव, 541 स्थाई सचिवों के सापेक्ष तैनात हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो उक्त समितियां कैसे संचालित की जाती हैं ?

(ङ) क्या उक्त का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
9

9-[अन्तरित]

- श्री आशुतोष सिन्हा 10-
10
- 10-(क) क्या वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के जे0बी0 गार्डन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा पारा में कितनी प्लाई फैक्ट्री संचालित है ?
(ख) उक्त फैक्ट्रियों का कितने दिनों का अनुबन्ध है ?
(ग) क्या उक्त फैक्ट्रियों के धुआँ से प्रदूषण फैलता है जिससे वहाँ के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?
(घ) क्या उक्त फैक्ट्रियों को वहाँ से शहर के बाहर स्थापित करायेंगे ?
(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?
(च) यदि नहीं, तो क्यों ?
- वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- श्री आशुतोष सिन्हा 11-
11
- 11-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि घर के अन्दर पालने वाले कुत्तों के लाइसेन्स बनाये जाते हैं ?
(ख) यदि हाँ, तो जनपद-लखनऊ के जे0बी0 गार्डन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा पारा में कितने पालतू कुत्तों के लाइसेन्स बनाये गये हैं तथा कितनों के नहीं बनाये गये हैं ?
(ग) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- नगर विकास मंत्री
- श्री आशुतोष सिन्हा 12-
12
- 12-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव में नगर पालिका उन्नाव के आवास विकास वाजिदपुर उर्फ राजेपुर में कमल वीर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के पीछे राजू शर्मा के मकान से लेकर बुद्धी लाल शर्मा के घर तक लगभग 50 मीटर सड़क व नाली न होने के कारण वहाँ के निवासियों को काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है ?
(ख) यदि हाँ, तो उक्त सड़क पर इण्टरलॉकिंग तथा नाली का निर्माण करायेंगे ?
(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- नगर विकास मंत्री
- डॉ० मान सिंह यादव 13-
13
- 13-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के खण्ड-35 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 में सेवानिवृत्त सुपरवाइजरो का सेवानिवृत्ति के उपरान्त अभी तक
- मुख्य मंत्री

समस्त देयकों का भुगतान न करते हुये पेंशन का लाभ भी नहीं दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले लाभों को कब तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिलायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डॉ० मान सिंह यादव

14

14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-बहाउद्दीनपुर, ब्लाक-पवई, तहसील-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ में चकिया बाजार से बहाउद्दीनपुर तक लगभग 1.5 किमी० रोड जर्जर होने के कारण क्षेत्रीय जनता व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त जर्जर रोड को ठीक/पुनर्निर्माण करा दिया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह

15

15-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मिश्रिख में नैमिषारण्य से ठाकुरनगर अरबापुर होते हुये बरेठी तक परिक्रमा पड़ाव 10 तक जाने वाला मार्ग जिसकी दूरी लगभग 08 किमी० है, कच्चा व उबड़-खाबड़ है, जिससे क्षेत्रीय जनता व श्रद्धालुओं को आवागमन की समस्या बनी रहती है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग पर डामर रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह

16

16-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर विकास खण्ड मछरेहटा के गांव रामनगर उमरापुर में कमलेश शहीद स्मारक से मेतान के मकान तक की दूरी जो लगभग 900 मी० पक्की सड़क जर्जर अवस्था में है जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क की मरम्मत का कार्य करायेंगे ?

- (ग) यदि हां, तो कब तक ?
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- डॉ० मान सिंह यादव 17 17-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा इन्टर सेक्शन की भांति पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं ? मुख्य मंत्री
- (ख) यदि हां, तो जनपद देवरिया में विगत छः माह से कितने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा कितने लम्बित हैं ?
- (ग) क्या अन्य जनपदों जैसे (मैनपुरी, चन्दौली, बाराबंकी, गोण्डा आदि) जनपदों में भी इन्टर सेक्शन की भांति जनपद देवरिया में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करायेंगे ?
- (घ) अनापत्ति प्रमाण-पत्र लम्बित होने के क्या कारण हैं ? क्या उत्तरदायी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये लम्बित अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जारी कराते हुये सदन को अवगत करायेंगे ?
- (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?
- श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 18 18-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि स्वतंत्रता दिवस, 2024 के अवसर पर तथा स्वच्छ सर्वेक्षण, 2024 के अवसर पर कार्यालय नगर पंचायत इटवा-सिद्धार्थनगर द्वारा नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था एवं शासकीय धन से क्या भुगतान किया गया ? नगर विकास मंत्री
- (ख) यदि हां, तो विज्ञापन में किन-किन अधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों के फोटो लगाये जाने का क्या प्राविधान है ?
- (ग) क्या प्रश्नकर्ता का नोडल जनपद एवं गृह जनपद सिद्धार्थनगर है ?
- (घ) यदि हां, तो प्रश्नकर्ता का फोटो उक्त विज्ञापन में प्रकाशित न होना प्रश्नकर्ता के विशेषाधिकार का हनन नहीं है ?
- (ङ) यदि हां, तो क्या इसकी जांच करा कर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह
उर्फ पूनम सिंह
19

19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में एन0एच0-29 से कैथी मारकण्डेय महादेव मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण चैनेज 0.000 से 2.450 तक लम्बाई 2.45 किमी0 तक जो सम्पर्क मार्ग बनाया जा रहा है उसकी चौड़ाई (पुरानी वर्तमान सड़क) राजस्व अभिलेख फसली 1883/1885 में राजस्व अभिलेखों में चौड़ाई कितनी है ?

मुख्य मंत्री

(ख) राजस्व नक्शे में वर्तमान में स्थित पुरानी सड़क के अतिरिक्त जो भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उसका मुआवजा भू-स्वामियों (भवन के अतिरिक्त) को सरकार द्वारा दिया जायेगा ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक और कितना ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह
उर्फ पूनम सिंह
20

20-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में प्राचीन मारकण्डेय महादेव मन्दिर कैथी से गंगा-गोमती संगम घाट तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है जिस कारण उक्त मार्ग में आने वाले भूमियों का अधिग्रहण किसानों की सहमति से किया गया है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से किसानों की भूमि अधिग्रहण की गयी है और उनको कब और कितना-कितना मुआवजे का भुगतान कराया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त सभी किसानों को मुआवजे का भुगतान करायेंगे ?

डॉ0 मान सिंह यादव
21

21-(क) क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-भखौवापुर, चन्दौली, ढकोलिया, मजरे-धर्मदासपुर, विकास खण्ड-जगतपुर, तहसील-ऊँचाहार, जनपद रायबरेली जो कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अन्तर्गत है कि निवासियों को सोलर लाईट/सौर ऊर्जा के अन्तर्गत सोलर लाइट दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2025, जो कि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी, को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

अतिरिक्त ऊर्जा
स्रोत मंत्री

(ख) क्या हाँ, तो पत्र में इंगित व्यक्तियों के घर के सामने सोलर लाईट/सौर ऊर्जा लाइट लगा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त पत्र में इंगित सभी व्यक्तियों के घर के सामने सोलर लाईट/सौर ऊर्जा लगा दिये जायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० मान सिंह यादव

22

22-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-सलेमपुर नगर विकास मंत्री पतौरा, पो०-काकोरी, जिला लखनऊ के कल्याण सिंह वार्ड में प्राइमरी स्कूल से छोटे-बड़े के घर तक सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सड़क का निर्माण कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह

23

23-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत मनवा चौकी से बौनाभारी तक 400 मी० का रास्ता अत्यन्त खराब है और मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क की मरम्मत का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

24

24-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद सिद्धार्थनगर आगमन के अवसर पर नगर पंचायत, विस्कोहर-सिद्धार्थनगर द्वारा नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं का विज्ञापन प्रकाशित किया गया एवं शासकीय धन से क्या भुगतान किया गया ?

(ख) यदि हाँ, तो विज्ञापन में किन-किन अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के फोटो लगाये जाने का प्राविधान है ?

(ग) क्या प्रश्नकर्ता का नोडल जनपद एवं गृह जनपद सिद्धार्थनगर है ?

(घ) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता का फोटो उक्त विज्ञापन में प्रकाशित न होना मेरे विशेषाधिकार का हनन नहीं है ?

(ङ) यदि हाँ, तो इसकी जाँच करा कर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री पवन कुमार सिंह

25

25-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-ऐलिया राष्ट्रीय राजमार्ग से जो रास्ता नेरी कला को जाता है, वह मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, जिसकी दूरी लगभग 900 मी0 है ?

मुख्य मंत्री

(ख) उक्त मार्ग खराब होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क की मरम्मत का कार्य करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता

26

26-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-234 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 07-09-2024 जो कि जनपद-लखनऊ के शारदानगर वार्ड में सी0पी0 सिंह के मकान से जहानवी जनरल स्टोर तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, कब प्राप्त हुआ है ?

नगर विकास मंत्री

(ख) उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) क्या सड़क तथा नाली का निर्माण करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 मान सिंह यादव

27

27-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण निगम लि0 राजाजीपुरम, लखनऊ को सम्बोधित लक्ष्मण विहार पारा रोड, लखनऊ के अध्यासियों का क्रमशः पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2024, 20 जनवरी, 2025 व 07 फरवरी, 2025 निष्प्रयोज्य बिजली के पोल हटाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या है ?

(ग) क्या उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार कार्यवाही करायेगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?



नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रेउसा, ग्राम पंचायत-बढ़ई डीह में लोधी के घर से सन्तोष कुमार तिवारी के घर तक लगभग 18 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-बढ़ई डीह, विकास खण्ड-रेउसा, जिला सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-बढ़ई डीह में लोधी के घर से सन्तोष कुमार तिवारी के घर तक रोड बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, गाँव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय:—जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रेउसा के ग्राम सभा-रामीपुर गुडवां के गाँव गुडवां में तिवारी मार्केट के बगल से शिवलाल तिवारी के घर तक लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम सभा-रामीपुर गुडवां, जिला सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा-रामीपुर गुडवां के गाँव गुडवां में तिवारी मार्केट के बगल से शिवलाल तिवारी के घर तक लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण निवासियों को मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गाँव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय:—जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मोहल्ला निर्मल नगर में श्री देवी दयाल गुप्ता के (20 फीट रोड पर से) सेठघाट रोड तक विद्युत लाइन सीधी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण मोहल्ला निर्मल नगर जिला लखीमपुर खीरी के मूल निवासी हैं। हमारे मोहल्ला निर्मल नगर में श्री देवी दयाल गुप्ता के (20 फीट रोड पर से) सेठघाट रोड तक विद्युत लाइन सीधी कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे नगर के निवासियों को आने-जाने में असुविधा न हो सके। नगर के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त स्थान पर विद्युत लाइन सीधी कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय:—जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत नगर निगम वार्ड सं0-12, खरगापुर सरसवा में निर्मल विला से लेकर अनिल कुमार सिंह के घर तक आर0सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण नगर निगम वार्ड सं0-12, खरगापुर सरसवा, जिला लखनऊ के मूल निवासी हैं। हमारे नगर निगम वार्ड सं0-12, खरगापुर सरसवा में निर्मल विला से लेकर अनिल कुमार सिंह के घर तक आर0सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे नगर के निवासियों को आने-जाने में असुविधा न हो सके। नगर के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।
